अध्याय 7

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आया। 79 मिलियन टन के कम उत्पादन से सीआईएल आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

सीआईएल, खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए, पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है। कोल इंडिया लि. के प्रमुख अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक हैं। उनकी सहायता के लिए चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) और निदेशक (विपणन) हैं। सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनियों के अपने निदेशक मंडल हैं जिनके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा, सातों उत्पादन कंपनियों में 4–4 कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकीध्आयोजना एवं परियोजना) और निदेशक (तकनीकीध्प्रचालन) हैं। एक अन्य सहायक कंपनी सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) है जिसके निदेशक मंडल में चार कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (तकनीकी) इंजीनियरिंग सेवा, निदेशक (कोयला संसाधन और विकास), निदेशक (आयोजना एवं डिजाइन) और निदेशक (अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में कुछ अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने 602.14 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया और 581.93 मि.ट. का ऑफटेक प्राप्त किया। इसकी सकल बिक्री 134979.13 करोड़ रू. है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयल्टी, उपकर, बिक्री कर और अन्य उप–शुल्कों के लिए 43058.72 करोड़ रू. का भुगतानध्समायोजन किया। सीआईएल ने 12 रू. प्रति शेयर की दर से 7395.27 करोड़ रू. लाभांश भुगतान किया, उपर्युक्त में से भारत सरकार का शेयर 4890.76 करोड़ रू. था।

2. सीआईएल की कार्यनीतिक संबद्धता

- यह भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 83% उत्पादन करता है।
- लगभग 55% प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा कोयले पर निर्भर करती है, सीआईएल अकेले ही लगभग 40% प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करता है।
- यह उपयोगिता क्षेत्र (सीईए 2019–20) के कुल 76% थर्मल पावर उत्पादन क्षमता के लिए जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है।
- यह भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य के उतार–चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाता है।
- यह अन्त्य उपयोगकर्त्ता उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है और 'आत्मनिर्भर भारत' में एक मुख्य भूमिका निभाता है।

3. वर्ष 2019–20 में उपलब्धियां

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने अनुवर्ती वर्षों अर्थात् वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में 600 मि.ट. से अधिक कोयले का उत्पादन कर लिया है।

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वर्ष 2019–20 के दौरान नई ऊंचाईयां और सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं।

- मार्च, 2020 के दौरान 84.38 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया है, कंपनी के प्रारंभ होने से एक माह में ये अधिकतम उत्पादन है।

- वर्ष 2019–20 की अंतिम तिमाही में जोर–शोर से वापस आते हुए, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने इसी तिमाही के पिछले वर्ष की तुलना में कोयला उत्पादन में 9.9% की वृद्धि की है और वर्ष 2019–20 की दूसरी छमाही में वर्ष 2019–20 की पहली छमाही में उत्पादित कोयले की तुलना में 120. 28 मि.ट. अधिक कोयले का उत्पादन किया है।
- अनुवर्ती वर्षों के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 150 मि.ट. उत्पादित कोयले से अधिक कोयले का उत्पादन किया है, यह सीआईएल की केवल यही कंपनी अभी तक ऐसा कर पाई है।
- नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सराहनीय उपलब्धि को जारी रखा जब इसने वित्त वर्ष के समापन के चार दिन पहले ही 106.25 मि.ट. के अपने वार्षिक लक्ष्य को पार दिया था। इसके परिणामस्वरूप एनसीएल ने 108.05 कोयला उत्पादित किया था।
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष की समाप्ति के 3 दिन पहले ही 56 मि.ट. के अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को पूरा कर लिया है और इसने वर्ष के अंत तक 57.64 मि.ट. कोयले का उत्पादन कर लिया था।
- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में उत्पादन में वृद्धि की है।
- दिनांक 12.10.2019 को एसईसीएल के सीईआरएल, एक रेल जेवी के माध्यम से निष्पादित खर्सिया से कोरीचपर (0–44 कि.मी.) के बीच एक नई रेल लाइन शुरू की गई है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान बीसीसीएल के महेशपुर साईलो का निर्माण कार्य पूरा हो गया।
- वर्ष 2019–20 में एचईएमएम के 6700 करोड़ रू. की राशि के उपकरण और पुर्जों के लिए आदेश जारी किया गया।

वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में उपलब्धियों

कोविड–19 महामारी के प्रकोप और इसके बाद लॉकडाउन लगाने के कारण विद्युत और गैर–विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले की मांग में कमी आई थी जिससे सीआईएल के कोयले का प्रेषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। कोयले के उत्पादन को विद्युत गृहों में उच्च पिट–हेड कोयला भंडार, पर्याप्त कोयला भंडार और कम उठान के कारण विनियमित किया गया था। सीआईएल ने मांग बढ़ने पर त्वरित उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ओबी रिमूवल पर बल देने हेतु एक कार्यनीति बनाई है।

सीआईएल ने दिसंबर, 2020 तक 58.33 मि.ट. कोयले के उत्पादन में वृद्धि की है, जोकि कंपनी के प्रारंभ से दिसंबर में हुआ अधिकतम उत्पादन है, इसमें इसी माह के 58.02 मि.ट. की तुलना में 0.5% की वृद्धि हुई है।

अप्रैल, 20 से दिसंबर, 20 के दौरान ओबी रिमूवल 1126.67 घन मीटर के एएपी लक्ष्य की तुलना में 967.26 घन मीटर था और पिछले वर्ष की उपलब्धि 803.77 घन मीटर थी। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 163.49 घन मीटर (20.3% वृद्धि) की पूर्ण वृद्धि के साथ 86% लक्ष्य पूरा हुआ था।

अप्रैल, 20 से दिसंबर, 20 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ओबी रिमूवल में एमसीएल द्वारा (61.8%) बीसीसीएल द्वारा (36.7%), एनसीएल द्वारा (20.8%) , एसईसीएल द्वारा (20. 6%), डब्ल्यूसीएल द्वारा (18.5%) और ईसीएल द्वारा (0.4%) तक वृद्धि हुई है।

4. सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन पहलः

सीआईएल ने अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित मानव संसाधन परिवर्तनकारी पहल की हैं:–

1. एचआर नियमावली का प्रकाशन

सभी स्टेकहॉल्डरों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 6 माह की परीक्षण अवधि के बाद, एचआर नियमावली–कार्यकारी एचआर नियमोंध्नीतियों की संग्रह–पुस्तक के अंतिम संस्करण को दिनांक 01.11.2020 को सीआईएल फाउंडेशन डे प्रोग्राम के दौरान माननीय कोयला मंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है। अब से, नियमित रूप से अद्यतन नियमावली संदर्भ के एक बिन्दु के रूप में सीआईएल वेबसाइट में उपलब्ध होगी जिससे न केवल नियमों और नीतियों का एकीकृत कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा बल्कि इससे कार्यपालकों के सभी एचआर

संबंधी मामलों का निपटान करने में खुलापन और पारदर्शिता आएगी।

2. **कार्यपालकों की रोल प्रोफाइलिंग**

सीआईएल ने कंपनी में सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रोल प्रोफाइलिंग कर दी है। रोल प्रोफाइलिंग में नॉलेज डोमेन और प्रबंधकीय एवं व्यवहार्य प्रतिस्पर्धा आदि सहित रोल, मुख्य कार्य, मुख्य निष्पादन संकेतकों, रोजगार विशिष्टिकरण के सामान्य प्रोफाइल का उल्लेख होता है। इससे रोल धारकों को यह समझने में सहायता मिलेगी कि रोल, रोल स्पष्टता एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने में क्या–क्या अपेक्षित है।

3. **एचआर नीतियोंधनियमों की समीक्षा**

सीआईएल ने संगठन की समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचआर की प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार करने हेतु एक नीति बेंचमार्किंग उपयोग शुरू किया है। इस उपयोग के अंतर्गत, लगभग 4 नई नीतियां तैयार की गई हैं और चालू वित्त वर्ष में 10 मौजूदा नीतियों/नियमों को संशोधित किया गया है। कुछ नीतियों और नियमों को अनुमोदित किया जा रहा है। प्रमुख नीतियों/नियमों में चिकित्सा नियमावली, अनुशासन एवं अपील आचण नियमावली, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, पदोन्नति नीति, सेवानिवृत्ति नियम, सेवानिवृत्ति स्कीम से पहले के सेवानिवृत्ति आदि शामिल हों।

4. **कर्मचारियों का सेवा चार्टर**

प्रबंधन के कार्यनीतिक कामकाज में कर्मचारियों के कामकाज की गुणवत्ता को सुधारने और कर्मचारियों के विश्वास की पुष्टि के लिए, सीआईएल ने कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी संवर्ग कर्मचारियों दोनों के लिए अलग–अलग सेवा चार्टर तैयार किया है। इसी तरह का अनुप्रयोग सहायक कंपनियों में किया गया है और व्यापक रूप से इसका संचार किया गया है।

5. **चिकित्सा अधिकारियों की विकेन्द्रीकृत भर्ती**

चिकित्सा अधिकारी सामान्यतः क्षेत्रीय अस्पतालों/डिस्पेंसरी के दूरस्थ स्थानों में कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं। अस्थाई समाधान के रूप में, सीआईएल ने कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में एकमुश्त पारिश्रमिक के लिए ठेका आधार पर अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित अर्हता प्राप्त चिकित्सा पेशेवर को संलग्न करने हेतु एक चिकित्सा परामर्श नीति तैयार की है।

इसके अतिरिक्त, लीक से हटकर (आउट ऑफ बॉक्स) समाधान के रूप में, सीआईएल ने हाल ही में सीआईएल/सहायक कंपनी स्तर पर विशेषज्ञ और गैर–विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों दोनों की भर्ती के लिए एक विकेन्द्रीकृत चयन प्रकिया तैयार की है। इससे इच्छुक आवेदकों को काम के माहौल, स्थान की दूरी, चिकित्सा अवसंरचना आदि के बारे में पहले ही स्पष्ट जानकारी हो जाएगी और चयनित होने पर ऐसे आवेदक उन आवेदकों जिनकी नियुक्ति केन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से हुई है, की तुलना में लंबी अवधि के लिए कंपनी से जुड़े रहेंगे।

5. सीआईएल के लोगों का कार्य निष्पादनः

कर्मचारी भारत में कोयला खनन के केंद्रीय विषय हैं और सीआईएल में लोगों की प्रक्रियाओं में न केवल कंपनी के प्रचालनों की मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं, बल्कि ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग भी शामिल हैं। कई हितधारकों में कंपनी के स्वयं के कर्मचारी और उनके परिवार, लगभग 78,800 ठेकेदार के श्रमिक (01.12.2020 तक), कोयला क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण, सहायक उद्योग, कोलफील्ड्स आदि में प्रचालनरत सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कोल इंडिया लि. एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है और उपयुक्त विकास के लिए अपने लोगों, नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हुए कंपनी के हितधारकों की बदलती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

जनशक्ति

01.12.2020 की स्थिति के अनुसार सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों की कुल जनशक्ति 2,63,100 हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी	01.12.2019 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.12.2020 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
1.	ईसीएल	58,172	55,734
2.	बीसीसीएल	44,522	42,089
3.	सीसीएल	38,757	37,197
4.	डब्ल्यूसीएल	40,815	38,516
5.	एसईसीएल	52,795	48,690
6.	एमसीएल	22,043	21,813
7.	एनसीएल	14,627	13,932
8.	एनईसी	1,282	1,023
9.	सीएमपीडीआई	3,205	3,123
10.	डीसीसी	262	237
11.	सीआईएल (मुख्यालय)	877	751
	योग	2,77,357	2,63,105

6. कर्मचारी कल्याण

अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के कल्याणकारी कार्यकलाप नीचे दिए गए है:

1. आवासीय सुविधाएं

- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, सभी पात्र कर्मचारियों को उपलब्धता और कंपनी नियमों के अध्यधीन कंपनी क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं। हमारे कर्मचारियों को उचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए इन आवासों की पूरी मरम्मत करने के साथ–साथ नियमित रूप से इनकी मरम्मत और देख–रेख की जाती है।

2. जल आपूर्ति

- कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जल–आपूर्ति योजनाएं शुरु की गई हैं। उपयुक्त शोधन के पश्चात जल की आपूर्ति की जाती है और इसके लिए कई आरओ प्लांट्स भी विद्यमान हैं।

3. शैक्षिक सुविधाएं

- सीआईएल की सहायक कंपनियां कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु खान क्षेत्रों में स्कूल चलाने वालों जैसे कि डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती रही हैं।

५. कोल इंडिया छात्रवृति योजना:

- कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के तहत कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष दो प्रकार की छात्रवृति अर्थात् योग्यता एवं सामान्य छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

५. नकद पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण पत्र

- प्रत्येक वर्ष सीआईएल कर्मचारियों के उन प्रतिभाशाली बच्चों को 5000 रु. और 7000 रु. के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जो 10वीं और 12वीं स्तर की बोर्ड स्तरीय परीक्षा में 90: अथवा इससे अधिक कुल अंक प्राप्त करते हैं।

- देश में तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को देखते हुए सीआईएल वेज बोर्ड कर्मचारियों के उन आश्रित बच्चों, जो इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, आईएसएम और सरकारी चिकित्सा कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, को शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टल प्रभार की मात्रा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

4. चिकित्सा सुविधाएं

- कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड्स के विभिन्न भागों में औषधालयों के स्तर से केंद्रीय एवं शीर्ष अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। विशेष उपचार जिनके लिए विशेषज्ञताध्सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, के लिए उन्हें बाहर उपचार हेतु सूचीबद्ध अस्पतालों में भी रैफर किया जाता है।
- रोगियों को ट्रांसपोर्ट करने हेतु अस्पतालों के कोलफील्ड्स क्षेत्रों में केन्द्रीय स्थानों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी और जीवन सहायता प्रणालियों के साथ एम्बूलेंस प्रदान की गई है।
- इसके अलावा, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, एचआईवी(एड्स) जागरुकता कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।
- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में लगाए गए ठेका कामगारों को और कंपनी के अस्पतालों और औषधालयों में बाह्यरोगीध्अंतरंग रोगी के रुप में चिकित्सा देखभाल की सुविधा को बढ़ा दिया गया है।

5. महिला कर्मचारियों को सुविधाएं

- मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त, एक या एक से अधिक बार महिला कर्मचारियों को उनके अनुरोध पर 18 वर्ष की आयु तक दो जीवित बच्चों के लिए 730 दिनों तक का बाल देखभाल अवकाश दिया जाता है।

6. सांविधिक कल्याण सुविधाएं

- कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, कोयला खानों के लिए विभिन्न सांवंधिक कल्याण सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर्स आदि चला रही हैं।

7. गैर–सांविधिक कल्याण उपाय

(क) सहकारी भंडार और ऋण समितियां

- कोलियरीज में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सस्ती दर पर आपूर्ति करने की दृष्टि से सीआईएल के कोलफील्ड क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी और प्रारंभिक सहकारी भंडार कार्यरत हैं। इसके अलावा, कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्यरत हैं।

(ख) बैंकिंग सुविधाएं

- कोयला कंपनियों के प्रबंधन अपने कामगारों के लाभार्थ कोलफील्ड्स में अपनी शाखाएं और एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। कामगारों को इन बैंकों से अपना वेतन निकालने के लिए शिक्षित किया गया है।

(ग) होलिडे–होम्स

- कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लाभ के लिए मामूली लागत पर पर्यटन के आकर्षक स्थानों पर होलिडे–होम्स की सुविधाएं प्रदान करती है। ये सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध हैं। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, कोविड महामारी को देखते हुए, होलिडे होम्स पूरी तरह कार्यात्मक नहीं थे।

(घ) खेल और मनोविनोद सुविधाएं

- खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोल इंडिया में पश्चिम बंगाल सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोशियशन (सीआईएसपीए) के माध्यम से प्रशासित एक

अनुमोदित खेल नीति है और यह एसोसिएशन अपने कोलफील्ड क्षेत्रों में भी स्पॉन्सरशिप/ वित्तीय सहायता प्रदान करके खेलों और संस्कृति को स्पोर्ट करता है।

- कामगारों और उनके परिवारों के बेहतर जीवन और अच्छी सेहत को सुनिश्चित करने के लिए कामगारों की नजदीकी कॉलोनियों में मनोविनोद और खेल संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं।

7. कर्मचारी प्रशिक्षण

वर्ष 2020 में 01.01.2020 से 31.12.2020 तक के लिए सीआईएल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

कर्मचारी प्रशिक्षण	2018	2019	2020 (नवंबर, 20)
कार्यपालक	17,701	17,799	5,908
गैर- कार्यपालक	91,555	77,111	23,707
कुल	**1,09,256**	**94,910**	**29,615**

उन ठेका कामगारों जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2018	2019	2020 (नवंबर, 20)
कुल ठेका कामगार	67,330	72,271	78,804
प्रशिक्षित किए गए कुल ठेका कामगार	39,729	35,309	17,252

टिप्पणी: कोविड–19 महामारी के कारण, अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए थे।

8. प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर, कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिये जाते हैं। सभी परियोजनाओं में जेसीसी, सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

9. संविदा कामगार

कंपनी निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। दिनांक 01.12.2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में लगभग 78,804 संविदा कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेकेदार द्वारा संविदा कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। खनन गतिविधियों में नियोजित संविदा कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। संविदा कामगारों को खान क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी संविदा कामगारों को 'संविदा कामगारों को कंपनी की सुविधा' पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी संविदा कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया रहा है

और निजी बचाव संबंधी उपकरण जैसे कि हेलमेट, माइनिंग शूज, डस्ट मास्क, सेफ्टी लैंप्स और अत्याधिक पानी वाली खानों में गंबूट्स और उचित हुड्स सहित रेनकोट्स दिए जाते हैं। नियमित कर्मचारियों को प्रदान की जा रही कैंटीन, रेस्ट शेलटर्स, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं आदि सुविधाओं का संविदा कामगारों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सभी संविदा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (सीएमपीएफ और सीएमपीएस) के तहत सफलतापूर्वक शामिल किया है। संविदा कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचा जा सके।

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं संशोधन) अधिनिमय, 1971 के अंतर्गत संविदा कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'संविदा श्रमिक भुगतान प्रबंधन पोर्टल' का सृजन किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न संविदाकारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का व्यापक डाटाबेस "बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या" सहित तैयार किया है तथा पोर्टल पर अपलोड किया है। यह पोर्टल सभी संविदाकारों के कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति को देख सकें।

10. बाल श्रम/बलात मजदूरी/बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों में इसकी मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेक–धारकों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले संविदा कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मॉनीटरिंग की जाती है।

11. संघ की स्वतंत्रता:

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

12. भेदभाव न करना:

कंपनी कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत,लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं। रोजगार में समान अवसर प्रदान करने और सभी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा समावेशी कार्य–स्थल एवं कार्य–संस्कृति सृजित करने जिसमें निःशक्त व्यक्तियों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा हो, हेतु सीआईएल में एक समान अवसर नीति भी तैयार और कार्यान्वित की गई है।

13. संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल

- संगठन में शामिल होने वाले सभी नए लोगों का प्रोजेक्ट "आगमन" के तहत स्वागत किया जाता रहा है। भारतीय कोयला प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान में अधिष्ठापन कार्यक्रम के तहत कंपनी में कार्यपालकों को शामिल किया जाता है। अध्यक्ष, सीआईएल 'स्वागत पत्र' के माध्यम से नए कर्मचारियों का गर्मजोशी से स्वागत करता है।
- सभी सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाई दी जाती है और उनके सेवानिवृत्ति बकाए का भुगतान प्रोजेक्ट "सम्मान" के तहत किया जाता है। अध्यक्ष, सीआईएल और सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

14. निरंतर सुधार और ज्ञान प्रबंधन की पहल

ज्ञान के निरंतर साझाकरण के लिए सभी सीपीएसई के लिए एक सामान्य ज्ञान पोर्टल ओएनजीसी के तत्वावधान में विकसित किया गया है। यह पोर्टल पीएसयू के लिए एक सामान्य पोर्टल है जिसके तहत वे अपनी विशेष उपलब्धियां, अन्य पीएसयू से सीखने की सर्वोत्तम प्रथाएं और सुविधाएं साझा कर सकते हैं।

सीआईएल समय–समय पर 'समन्वय पोर्टल' इंफो बैंक में योगदान भी देती है।

15. जन विकास पहल और सामाजिक सुरक्षा उपाय

i. उपदान– सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी 20 लाख रुपए तक का उपदान प्राप्त करते हैं।

ii. सीएमपीएफ– सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और कंपनी द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किया जाता है।

iii. कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस) – सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25% राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

iv. सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता – सीआईएल ने कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए अपने 2.63 लाख कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना शुरु की है। कुछ शर्तों के अधीन यह योजना गैर–कार्यपालकों तथा कार्यपालकों को साधारण मामलों मे इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए क्रमशः 8 लाख रुपए और 25 लाख रु. के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करती है और हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार, एचआईवी–एड्स व सांघातिक रक्ताल्पता/अधिवृक्क हिस्टोप्लास्मोसिस, जैसी गंभीर बिमारियों और गंभीर दुर्घटनाओं तथा मस्तिष्क ज्वर के मामलों में वास्तविकता के आधार पर सहायता दी जाती है। सीआईएल का उद्देश्य अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ और आधार ब्यौरों से जोड़ते हुए बायोमैट्रिक डाटा के साथ स्मार्ट कार्ड्स के माध्यम से कैश–लेस उपचार शुरु करना भी है।

v. अधिवार्षिता पेंशन योजना – सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी रूप में अधिवार्षिता लाभ देने के लिए एक अधिवार्षिता पेंशन योजना तैयार की है। इसे 01.01.2007 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित किया गया है।

vi. कर्मचारी मुआवजा – ड्यूटी के दौरान मृत्य/निःशक्तता की स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कम्पनी घातक खान दुर्घटना अथवा कोविड–19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में 90,000 रुपए उपदान के रुप में और 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान करती है जिसे सीआईएल में संलग्न ठेका कामगारों के लिए बढ़ा भी दिया गया था।

vii. जीवन बीमा योजना – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 1,25,000 रु. की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

viii. आश्रित सदस्य को रोजगार – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने/निःशक्त होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में नौकरी पाने का हकदार है।

16. शिकायत प्रबंधन

कम्पनी में स्टेकधारकों अर्थात कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा अन्यों की शिकायतों के निपटान के लिए एक मजबूत ऑन लाइन स्टेकधारक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इस नीति के अंतर्गत सभी शिकायतों को 10 दिनों के भीतर निपटाया जाता है तथा स्टेकधारकों को तदुनसार सूचित किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में 1 शिकायत लंबित थी। इसका निपटान कर दिया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र

- नीकी नवाचारों और संचार के नए तरीकों को ध्यान में रखते हुए, शिकायतों की ई–फाइलिंग को आसान बनाने के लिए सीआईएल द्वारा कुछ साल पहले ऑन–लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस) शुरू की गई थी। ऐसे उद्देश्य के लिए एक कस्टमाइज्ड वेब–साइट विकसित की गई थी। इसके बाद, सीआईएल ने केन्द्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) अनुकूलित बनाया, जिसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और

विकसित किया गया था। सीपीजीआरएएमएस के पीजी पोर्टल का उपयोग सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए सिंगल विंडो के रूप में किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस के सफल अनुकूलन के बाद, कार्य के दोहराव से बचने के लिए, ओएलजीएमएस को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया था। नोडल अधिकारियों और उनके संपर्क विवरण की सूची के साथ–साथ वेब साइट में पीजी पोर्टल के लिए लिंक उपलब्ध कराया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। शिकायतों और उनके रिस्पांस की निगरानीध्समीक्षा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों वाली शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। देरी किए बिना शिकायत के समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है और परिणाम पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां भी अंतरिम जवाब की जरूरत होती है, वहां शिकायतकर्ता को ऐसा जवाब भेजा भी जाता है।

- यदि शिकायतें कोयला कंपनियों से संबंधित हैं, तो नोडल अधिकारी इसे संबंधित कोयला कंपनियों को उनकी टिप्पणियों/कार्रवाई के लिए अग्रेषित करते हैं। टिप्पणियों/स्थिति प्राप्त होने के तुरंत बाद, शिकायतकर्ता को उपयुक्त रूप से सूचित किया जाता है, इस प्रकार इस मामले को बंद कर दिया जाता है। यदि यही सीआईएल के किसी अन्य विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित है तो उसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों पर उपरोक्त प्रणाली के अंतर्गत शीघ्रता और कुशलता से कार्रवाई की जा रही और इन्हें निपटाया जा रहा है।

17. सीआईएल की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति

सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालित आरएंडआर नीतियांध्योजनाएं समय के साथ विकसित हुई थीं और सीआईएल की 1994, 2000, 2008 और 2012 की आरएंडआर नीति जैसी बदलती परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में कई परिवर्तन किए गए थे।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनी सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि (सभी अधिकार) ले रही हैं और (एमसीएल को छोड़कर) भूमि मालिकों या उनके नामातियों को प्रत्येक दो एकड़ भूमि के लिए पैकेज डील अवधारणा या अवरोही क्रम में एक रोजगार प्रदान कर रही हैं। एमसीएल ओडिशा सरकार की आरएंडआर पॉलिसी 2006 का पालन करती है और इसी नीति के तहत रोजगार अधिशासित होता है।

सीआईएल आरएंडआर नीति में लचीलेपन की शर्तें भी हैं जहां सहायक कंपनी बोर्ड को संबंधित सहायक कंपनी में प्रचलित विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में उक्त नीति में आवश्यक संशोधन को अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया है।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनियां खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए सीबीए (एएंडडी) अधिनियम 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं जो पूरी तरह खनन से संबंधित हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 28.08.2015 को आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2015 के मुद्दे के संदर्भ में, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा, आर और आर लाभ और बुनियादी सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II एवं III के अनुसार उपलब्ध कराई जानी हैं।

इसके बाद, कोयला मंत्रालय ने सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए इस आदेश के कार्यान्वयन के बारे में अलग–अलग स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

तदनुसार, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए आरएंडआर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची प्प के अनुसार या पीएएफ द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रदान किए जा रहे हैं और मौजूदा पद्धति के अनुसार रोजगार प्रदान कराया जा रहा है अर्थात प्रत्येक दो एकड़ जमीन के लिए एक रोजगार।

इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड ने 25.08.2020 को आयोजित अपनी 409 वीं बैठक में सीआईएल, 2020 की वार्षिकी योजना को अनुमोदन दिया ताकि छोटे भू–स्वामियों के साथ–साथ प्रभावित परिवार की आवश्यकता में सुधार किया जा सके जो राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा यथाप्रमाणित एक गैर–हकधारी धारक हो सकता है, जिनकी आजीविका का मूल स्रोत वह भूमि थी जिसे अधिग्रहण की तारीख से तीन साल से अधिक समय पहले ही अधिग्रहित कर लिया गया था और भूमि अधिग्रहण से जिनका आय का नियमित स्रोत प्रभावित हुआ।

18. पर्यावरण की चिंता – सीआईएल

कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए न पिछले कुछ वर्षों से अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि की है बल्कि पूर्णतः खनित क्षेत्रों के उद्धार और कोयला धारक क्षेत्रों में और उसके आसपास व्यापक वृक्षारोपण सहित विभिन्न शमन उपायों को अपनाकर स्थानीय पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता और चिंता भी दिखाई है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

सीआईएल अपने व्यापार परिचालन को शुरू करते समय समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। यह पर्याप्त शमन पद्धतियों के साथ कोयले का खनन करते समय पर्यावरण की चिंता के लिए भी प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के अपने प्रयास में, यह इस बात से परिचित है कि कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए एक सक्रिय निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल फुटप्रिंट्स कम से कम हों, निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- एकीकृत परियोजना नियोजनः नई कोयला खनन परियोजनाओं में, पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की योजना बनाना प्रमुख चिंताएं हैं। खनन लेआउट डिजाइन करते समय, संचालन के लिए संभव न्यूनतम सीमा तक भूमि (वन भूमि सहित) आवश्यकता को कम करने के लिए सावधानी बरती जा रही है। योजना बनाने में मृदा उत्खनन, संरक्षण और उद्धारित क्षेत्रों पर इसके पुनः उपयोग से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कम उत्सर्जनों के साथ बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए खनिकों और सतत खनिकों जैसी नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इन–पिट क्रशिंग और बेल्ट कन्वेयर प्रणाली के साथ ओपनकास्ट खानों की योजना बनाई जाती है ताकि वायु गुणवत्ता के स्तरों में सुधार किया जा सके। उत्पादन पश्चात भूमि का श्रेष्ठ उपयोग प्राप्त करने को ध्यान में रखते

हुए उचित सम्मान के साथ परियोजनाओं के संबंध में योजना बनाई जाती है ताकि यह स्थानीय आबादी के लिए एक परिसंत्ति बन जाए।

- सांविधिक मंजूरिया और उनका अनुपालनः अपेक्षित सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद ही परियोजनाओं का परिचालन किया जा रहा है। विभिन्न मंजूरियों में दर्शाई गई सभी सांविधिक शर्तों का अनुपालन पूरी कर्मठता के साथ किया जा रहा है और सांविधिक एजेंसियों को समय–समय पर सूचित किया जा रहा है।
- प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयनः सीआईएल अपनी परियोजनाओं की पर्यावरण प्रबंधन योजना में एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषक पूरी तरह निर्धारित मानकों के भीतर रहें। वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विवरण सतत पहलों के तहत रिपोर्ट में अन्यत्र परिलक्षित होते हैं।
- खान बंद करने के दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयनः वर्ष 2009 में कोयला मंत्रालय द्वारा खान बंद करने के दिशा–निर्देश जारी करने और इसके बाद के संशोधनों के साथ, सभी परियोजनाओं के लिए खान बंद करने की योजना (एमसीपी) तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की गई है। एमसीपी में खान बंद करने के तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय मुद्दे शामिल हैं जो खान बंद करने की क्रमिक तथा अंतिम गतिविधियों को पूरा करने के दौरान भूमि उद्धार पर जोर देते हैं। एमसीपी का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि विशेष ध्यान देकर खान के जीवनकाल के दौरान सभी निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जाए ताकि यह निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सकेः
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता न किया जाए
- पर्यावरणीय संसाधन न्यूनतम भौतिक और रासायनिक गिरावट के अधीन हो
- स्थल का खनन के बाद का उपयोग लंबी अवधि में फायदेमंद और टिकाऊ हो
- सामाजिक–आर्थिक लाभों को अधिकतम करने का अवसर दिया जाए।
- **हरित पहलें**: 'स्वच्छ और हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जहां भी भूमि उपलब्ध है वहां सीआईएल द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष (दिसंबर, 2020 तक) में सीआईएल की सहायक कंपनियों ने लगभग 770 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 17,64,200 पौधे लगाए हैं। खनन गतिविधियों के कारण धूल पैदा होने को नियंत्रित करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा विंड ब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम की अवधारणा विकसित की गई है और गेवरा ओसीपी में इसे लागू किया जा रहा है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

एससीसीएल वर्तमान में तेलंगाना राज्य के छह जिलों में फैली 20 ओपनकास्ट खानों और 26 भूमिगत खानों का परिचालन कर रही है। एससीसीएल पर्यावरण के प्रति जागरूक है और कोयला खानों में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में सक्रिय है।

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में, एससीसीएल ने पर्यावरण नीति तैयार की है। पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, योजना, निष्पादन और निगरानी प्रणालियों में एकरूपता लाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सतत कोयला खनन कार्य सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी खानों, विभागों और अन्य इकाइयों को पर्यावरण नीति, उद्देश्य और दिशा–निर्देश परिचालित किए गए थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए एससीसीएल विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों, नियमों का अनुपालन कर रहा है और पर्यावरणीय मानदंडोंध्शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना पर पर्यावरण प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। पर्यावरण संरक्षण और अनुपालन के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरियों में निर्धारित शर्तें, परिचालन के लिए सहमति और अन्य सांविधिक मंजूरियों संबंधी रिपोर्टें समय–समय पर नियामक एजेंसियों को प्रस्तुत की जा रही हैं। सीपीसीबी से मान्यता प्राप्त एनएबीएल द्वारा अधिकृत

प्रयोगशाला के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाओं के आस–पास पर्यावरणीय निगरानी की जा रही है और प्रदूषण की रोकथाम संबंधी आवश्यक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

एससीसीएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, एससीसीएल ने खानों में जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था और कोल हैंडलिंग संयंत्रों में मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की है।
- खान के अतिरिक्त जल को आस–पास के पानी की टंकियों में डिस्चार्ज किया जा रहा है और टैंकों की गाद निकालने का काम भी शुरू किया जाता है ताकि जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके जिससे आस–पास के ग्रामीणों द्वारा वर्ष में दो फसलों को उगाने में मदद मिलती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- ओपनकास्ट खानों में नॉन–इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक अपनाई जा रही है ताकि शोर और ब्लास्ट कंपन को नियंत्रित किया जा सके ।
- धूल दबाने और वृक्षारोपण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसे डिस्चार्ज करने से पहले खान और कॉलोनी बहिस्त्रावों को उपचारित किया जाता है।
- ओवरबर्डन डंप के उद्धार के लिए एससीसीएल जैविक इंजीनियरिंग तकनीकों को कार्यान्वित कर रही है। इन तकनीकों का उद्देश्य अपशिष्ट और अवक्रमित भूमि को संधारित पारिस्थितिकीय भू–आकृति में बदलना है जो मृदा अपरदन, जल निकायों की गाद, जल प्रदूषण, धूल प्रदूषण को भी रोकेगी और पर्यावरण के सौंदर्य को फिर से बढ़ाएगी।
- एससीसीएल अपनी स्वयं की नर्सरियों में बड़े पैमाने पर स्थानीय पौधों की प्रजातियों को उगा रही है ताकि वह वार्षिक आधार पर अपने सभी खनन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम शुरू कर सके।
- एससीसीएल, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीएसआर और डीएमएफटी के तहत धन आवंटित कर कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक उपाय कर रही है।
- खान बंद करने की गतिविधियां कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खान योजना और खान बंद करने की योजना के अनुसार शुरू की जा रही हैं।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन के लिए अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एससीसीएल चरणबद्ध तरीके से सभी खनन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर रही है।
- आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा निस्तारण की व्यवस्था, पार्कों और बगीचों का विकास, कॉलोनी और उसके आसपास ग्रीनबेल्ट, रूफ–टॉप सोलर पैनल आदि उपलब्ध कराकर एससीसीएल इको–फ्रेंडली कॉलोनियां भी विकसित कर रहा है।
- चालू वित्त वर्ष (दिसंबर, 2020 तक) में एससीसीएल ने लगभग 809 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 20 लाख पौधे लगाए हैं।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसीआईएल पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर खनन गतिविधियों के प्रभाव से लगातार निपट रही है। एनएलसीआईएल पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों, नियमों का पालन कर रही है। पर्यावरणीय मानदंडोंध्शर्तों के कार्यान्वयन और निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है।

एनएलसीआईएल अपनी परियोजनाओं की पर्यावरण प्रबंधन योजना में एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषक पूरी तरह निर्धारित मानकों के भीतर रहें। वायु, जल, ध्वनि, भूमि और मृदा पर खनन के प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए रोक–थाम संबंधी विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

सभी तीनों खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणालियां कार्यान्वित की गई हैं। एनएलसीआईएल इस अवधि के दौरान सभी ओपनकास्ट खान परियोजनाओं के लिए भूमि उद्धार और बहाली की निगरानी के लिए उपग्रह निगरानी का उपयोग कर रही है।

'स्वच्छ और हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एनएलसीआईएल द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया जाता है। दिसंबर 2020 तक, एनएलसीआईएल की सहायक

कंपनियों ने 87333 पौधे लगाए हैं। शुरूआत के बाद से, एनएलसीआईएल ने अच्छी तरह से संरचित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं और सतत विकास गतिविधियों के माध्यम से लगभग 442.84 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.47 मिलियन पेड़ लगाए हैं।

19. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की वर्तमान खनन क्षमता 30.6 एमटीपीए है तथा दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 5561.06 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लि. की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएसएचएएस) के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त है।

20. प्राधिकृत पूंजी

एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत पूंजी 1386.64 करोड़ रु. (बाई बैक–2018 के बाद) है। 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है:

निवेश	(करोड़ रूपये में)
इक्विटी–भारत सरकार का हिस्सा:	1098.22 (दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)	शून्य

21. उत्पादन कार्य–निष्पादन (एनएलसी इंडिया लिमिटेड):

वर्ष 2020–21 के दौरान ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पाद	यूनिट	ब.अ. 2020–21	सं.अ. 2021–22	2019–20 (जनवरी, 20 से मार्च, 20)	2020–21 (दिसंबर'20 तक)		जनवरी 2021 से मार्च 2021 (अनुमान)
				वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)	
ओवरबर्डन	एमएम^3	169.96	157.76	42.04	124.74	107.55	50.21
लिग्नाइट	एमटी	25.22	22.92	7.85	17.19	12.51	10.41
कोयला	एमटी	0.94	0.94	--	0.58	0.44	0.50
विद्युत सकल (एनएलसीआईएल)	एमयू	25,776.64	22,306.76	6,098.95	18,859.29	13,742.74	6,917.35
विद्युत निर्यात (एनएलसीआईएल)	एमयू	22,924.06	19,523.85	5,300.99	16,759.16	11,850.82	6,164.90
विद्युत सकल (एनटीपीएल)	एमयू	7540.00	7540.00	2631.80	5523.00	3861.81	1978.00
विद्युत निर्यात (एनटीपीएल)	एमयू	7101.00	7101.00	2430.70	5205.00	3572.84	1896.00

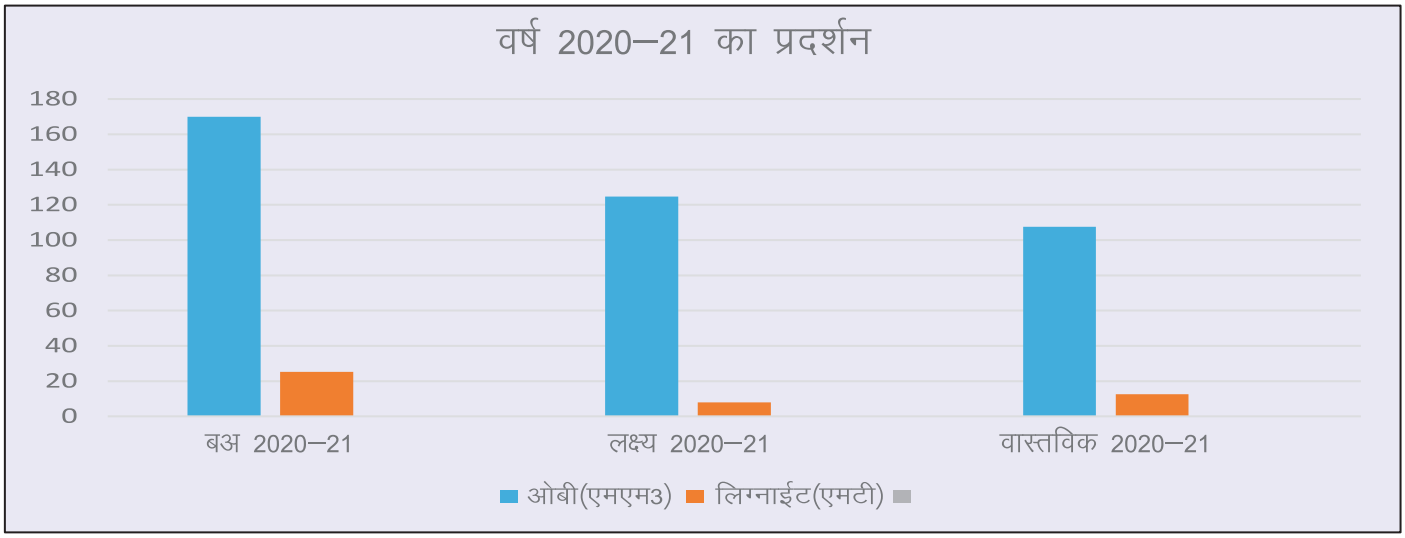
वर्ष 2020–21 का प्रदर्शन
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
बअ 2020–21
लक्ष्य 2020–21
वास्तविक 2020–21
ओबी(एमएम3)
लिग्नाईट(एमटी)

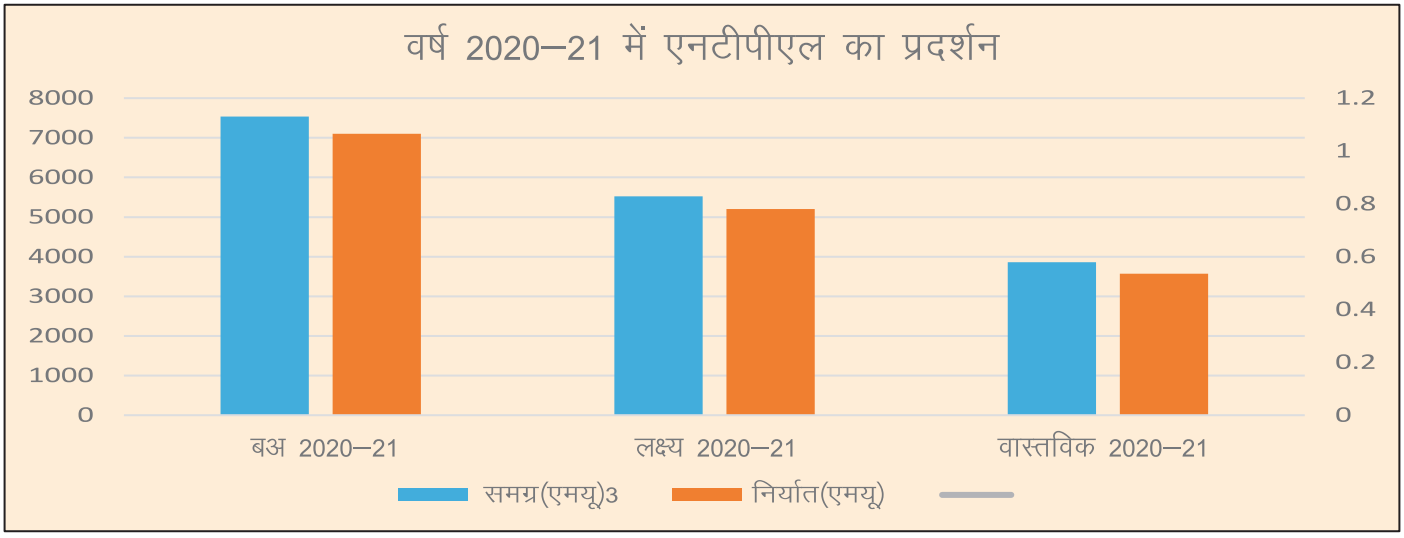
वर्ष 2020–21 में एनटीपीएल का प्रदर्शन
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
बअ 2020–21
लक्ष्य 2020–21
वास्तविक 2020–21
समग्र(एमयू)3
निर्यात(एमयू)

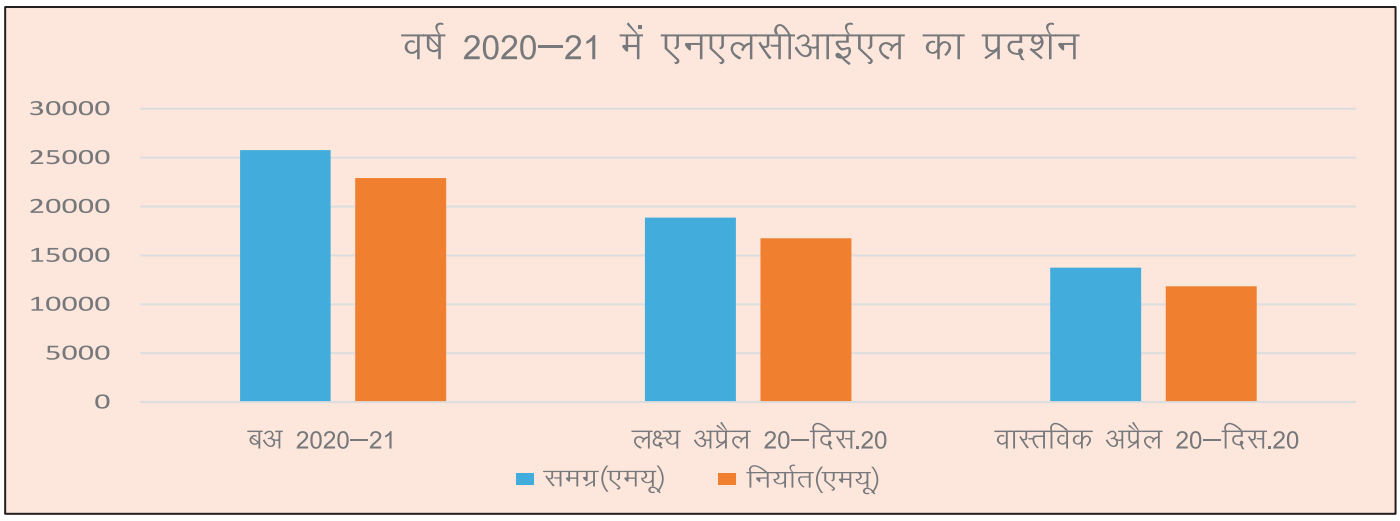
वर्ष 2020–21 में एनएलसीआईएल का प्रदर्शन
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
बअ 2020–21
लक्ष्य अप्रैल 20–दिस.20
वास्तविक अप्रैल 20–दिस.20
समग्र(एमयू)
निर्यात(एमयू)

यदि छोड़ दी गई 784.14 (अनंतिम) एमयू विद्युत को जोड़ा जाता है, तो एनएलसीआईएल के संबंध में अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए सकल विद्युत उत्पादन 14526.80 एमयू होगा।

यदि छोड़ दी गई 2264.03 (अनंतिम) एमयू विद्युत को जोड़ा जाता है, तो एनटीपीएल के संबंध में अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए सकल विद्युत उत्पादन 6125.84 एमयू होगा।

22. उत्पादकता:

2019–20 और 2020–21 में उत्पादकता निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

ओएमएस	यूनिट	2019–20 वास्तविक	2020–21 (दिसंबर, 20 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक
खानें	टन	15.99	13.78	12.07
तापीय	कि.वा./घंटा	29305	32360	22876

23. संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ)

2019–20 तथा 2020–21 के दौरान टीपीएस–I, टीपीएस–I विस्तार, टीपीएस–II, टीपीएस–II विस्तार और बरसिंगसर टीपीएस द्वारा प्राप्त किया गया पीएलएफ:–

पीएलएफ	2019–20 वास्तविक	2020–21 (दिसंबर, 20 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक
टी.पी.एस–I	61.72	0.00	57.47
टी.पी.एस-I ई	90.22	78.61	78.47
टीपीएस-II	80.74	77.80	48.01
टीपीएस-II ई	36.82	61.45	46.08
बरसिंगसर टीपीएस	69.57	64.30	61.70
एनएनटीपीपी	48.93	71.83	69.40
एनटीपीएल	55.15	83.68	58.51

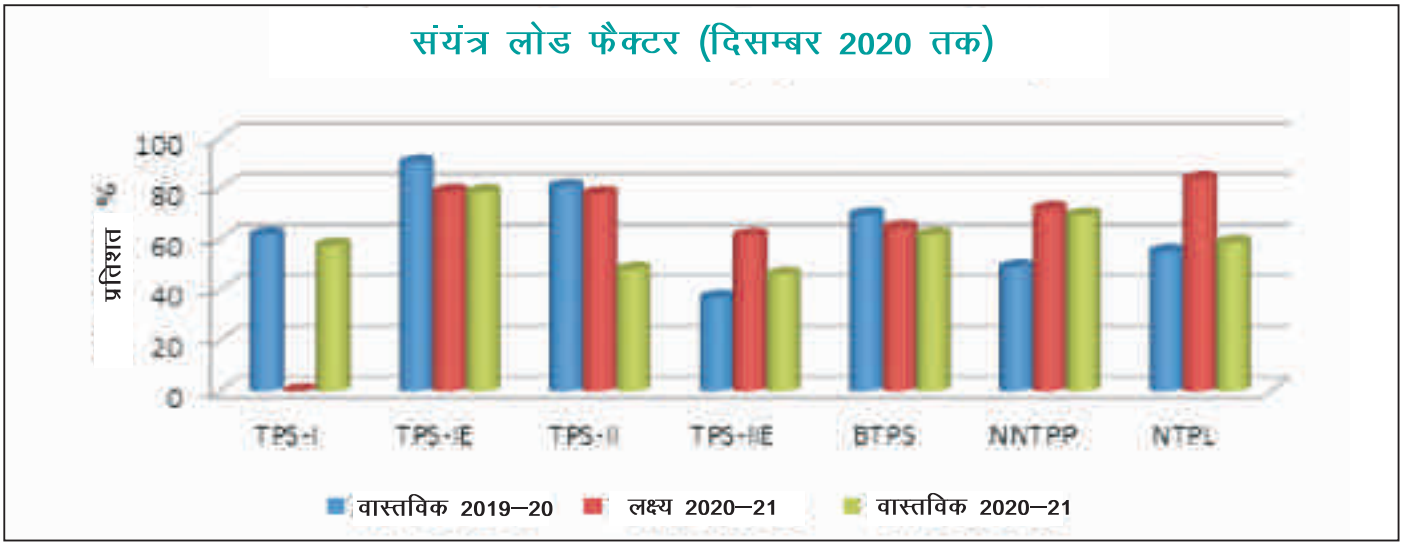

वर्ष 2020–21 के दौरान उत्पाद–वार बिक्री (अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक) निम्नानुसार है:

उत्पाद	बिक्री 2019–20 (रु. करोड़ में)	बिक्री 2020–21 (रु. करोड़ में) दिसंबर, 2020 तक (अनंतिम)
लिग्नाइट	517.46	175.02
कोयला	0.00	8.73
विद्युत	7341.32	4808.50
अन्य	57.52	31.02
योग	7916.30	5022.27

जनशक्ति:

31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार एनएलसीआईएल की कुल जनशक्ति निम्नानुसार है:

	तकनीकी	गैर– तकनीकी	अन्य	कुल
कार्यपालक	2937	495	198	3630
पर्यवेक्षक (एनयूएस)	351	10	54	415
गैर–कार्यपालक	2442	791	4351	7584
कुल	5730	1296	4603	11629

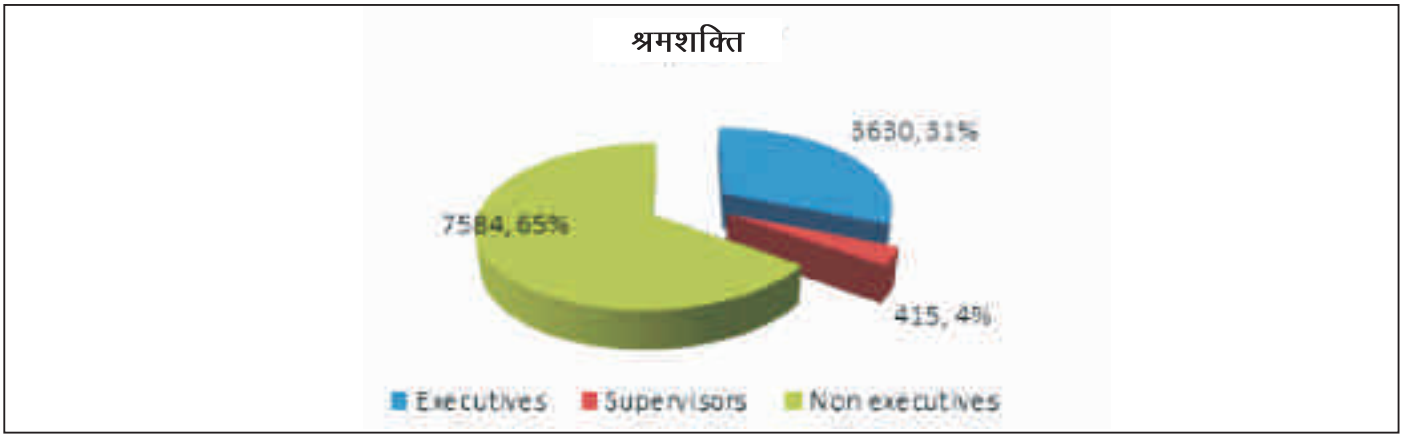

*पाई चार्ट – जनशक्ति

24. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लि. तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी भागीदारी क्रमशः 51:49 है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है।

25. कोयला उत्पादन: वर्ष–2020–21 के लिए कोयला उप्तादन लक्ष्य 67.50 मि.ट. है और दिसम्बर, 2020 तक वास्तविक कोयला उत्पादन 32.66 मि.ट. है।

लक्ष्य (जनवरी–दिसंबर, 2020)	वास्तविक (जनवरी–दिसंबर, 2020)	% उपलब्धि
68.14	49.95	73.3

26. कोयला प्रेषण: वर्ष 2020–21 के दौरान कोयला प्रेषण लक्ष्य 67.50 मि.ट. है और दिसम्बर, 2020 तक वास्तविक प्रेषण 31.79 मि.ट. है।

लक्ष्य (जनवरी–दिसंबर, 2020)	वास्तविक (जनवरी–दिसंबर, 2020)	% उपलब्धि
68.37	47.91	70.1

27. उत्पादकता (ओएमएस): वर्ष 2020–21 के लिए उत्पादकता लक्ष्य 6.82 टन है और दिसम्बर, 2020 तक उपलब्धि 4.99 टन है।

वर्ष	सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि.		
	सूजी	ओसी	समग्र
2020-21 लक्ष्य	1.58	17.33	6.82
2020-21 वास्तविक (दिसंबर 2020 तक)	0.89	12.16	4.99

जनशक्ति : 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में 1269 महिला कर्मचारियों सहित 45,087 कर्मचारी हैं।

सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट: वर्तमान में, 2ग्600 मे.वा. सिंगरैनी थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिले में प्रचालनरत है। वर्ष 2019–20 में कुल 9227 एमयू और 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में कुल 5353 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया।

सौर विद्युत संयंत्र: एससीसीएल ने तेलंगाना में एससीसीएल कमान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 300 मे.वा. क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2020 में एससीसीएल द्वारा 55 मे.वा. सौर विद्युत संयत्र शुरू किए गए हैं। जनवरी, 2021 तक अन्य 39 मे.वा. सौर विद्युत संयंत्र शुरू किए जाएंगे। परित्यक्त ओसी खान जल में 5 मे.वा., एसटीपीपी के वॉटर पौंड में 10 मे.वा., ओसी खानों के ओसी डंपों पर 32 मे.वा. सहित शेष सौर ऊर्जा संयंत्रों को दिसंबर, 2021 तक चरणबद्ध रूप में शुरू किया जाएगा।

एससीसीएल में रोजगार के अवसर: एससीसीएल द्वारा बाह्य और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। तेलंगाना का गठन (जून, 14) हो जाने के बाद 13,800 से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

पौधारोपण: एक अग्रणी कार्यक्रम "तेलंगाना कु हरिथा हरम" के भाग के रुप में एससीसीएल ने 2020–21 के दौरान 809 हेक्टेयर में 20.23 लाख पौधे लगाए हैं।

कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय:

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों नामतः प्रचलन में आवास एवं स्वच्छता, शिक्षा, मनोविनोद, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं सहित चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को जारी रखा जा रहा है।

आवास:

समग्र आवास संतुष्टि 100% है।

शिक्षा:

कंपनी कर्मचारियों के बच्चों और साथ ही अन्य नजदीकी निवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 9 हाई स्कूल, 1 महिला पीजी एवं डिग्री कॉलेज और 1 पोलीटेक्नीक कॉलेज चला रही है। इसके अतिरिक्त निःशक्त छात्रों के लिए 3 स्कूलों को वित्तीय सहायता दी गई है।

पेयजल:

कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यालयों, खानों, अस्पतालों, गेस्टहाऊसों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि में आरओ प्यूरीफीकेशन संयंत्रों को स्थापित किया गया है।

योगा और मनोविनोद:

पूरे वर्ष योगा और मेडिटेशन कैंपों का व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों को खेल सुविधाएं एवं अपेक्षित अवसंरचना प्रदान की गई है और खेलों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है।

सेवानिवृत्त कामगार और उनके विवाहिती के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें:

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें अर्थात् जनता कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना (जेपीएआईएस), परिवार लाभ बीमा योजना (एफबीआईएस), समूह बीमा योजना, कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) और अंशदायी सेवानिवत्त बाद मेडिकेयर योजना कार्यान्वित की जा रही है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार:

उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान हो गई है या जो चिकित्सकीय रूप से अशक्त होते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

एससीसीएल के पास कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 820 बेड वाले 7 क्षेत्रीय अस्पताल और 21 औषधालय हैं।

सहकारी समिति और बिक्री डिपो:

खानों और विभागों में कार्यरत एससीसीएल के कामगारों को बचत की संस्कृति को समावित करने और ऋण प्राप्त करने के लिए पैसे उधार देने वालों के पास जाने वाले कर्मचारियों से बचने के दृष्टिकोण से 'कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी' का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना। कोलफील्ड क्षेत्रों में सुपर बाजार (गैस गोदामों सहित) कुल 42 बिक्री डिपो– कार्यात्मक हैं।

अन्य:

निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

- कर्मचारियों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति।
- आईआईटीध्आईआईएम में प्रवेश पाने पर एनसीडब्यूए के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन–फी की प्रतिपूर्ति।
- निवल लाभ में से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
- निष्पादन संबद्ध पुरस्कार स्कीम का भुगतान।
- त्यौहार पेशगी का भुगतान।
- एनसीडब्ल्यूए की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश प्रदान करना।
- आवास निर्माण ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति स्कीम।
- कर्मचारियों को उनके घरों में एसी कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है।

28. पूर्वोत्तर क्षेत्र कोलफील्ड्स में विकास कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कोल इंडिया लिमिटेड के खनन कार्यकलाप मुख्य रुप से असम के माकूम कोल फील्ड्स की 3 खानों में हैं। ये हैः– तीरप, तिकाक तथा तिपोंग। इन में से, तीरप और तिकाक कोलियरी ओपनकास्ट खानेंध्परियोजना हैं जबकि तिपोंग कोलियरीज भूमिगत खान है।

सांविधिक एजेंसियों द्वारा दिनांक 24.10.2019 से तिकाक कोलियरी में खनन कार्यकलाप बंद हो गया है और एनईसी द्वारा दिनांक 03.06.2020 से तीरप कोलियरी में खनन कार्यकलाप अस्थाई रूप से स्थगित हो गया है क्योंकि वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी जैसी सांविधिक मंजूरियां और परियोजनाओं के लिए संचालन करने की सहमति तथा बाह्य ओबी डंप के लिए अपेक्षित सरकारी भूमि का अंतरण किया जा रहा है। इस समय तीरप कोलियरी क्षेत्र में, राज्य एजेंसियां द्वारा राजस्व भूमि की तुलना में वन सीमा का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तिपोंग यूजी खान में भी कोई खनन कार्यकलाप नहीं हुआ है, तथापि, नियमित रूप से वॉटर–पंपिंग की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त होने के बाद दो नई परियोजनाओं को शुरू कर दिया जाएगा। ये दो परियोजनाएं क्रमशः 0.2 एमटीवाई और 0.25 एमटीवाई की रेटिड क्षमता के साथ तिकाक विस्तार ओसीपी और लेखापानी ओसीपी है। इन खानों के लिए चरण–। हेतु एफसी और ईसी पहले ही प्राप्त हो गई है। एनईसी ने पहले ही इन दो परियोजनाओं के चरण–। एफसी का अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है।

पिछले 4 (चार) वर्षों का कोयला उत्पादन निम्नलिखित **तालिका–I** में दर्शाया गया है:

तालिका–1

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 एएपी के अनुसार लक्ष्य
एनईसी का कोयला उत्पादन	6.00	7.81	7.84	5.17	6.00

वर्ष 2020–21 में, कोयला उत्पादन नहीं हुआ है क्योंकि पहले पैराग्राफ में यथा–उल्लिखित तिकाक कोलियरी और तीरप कोलियरी में खनन कार्यकलापों को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है। अप्रैल, 2020 से 02 जून, 2020 तक तीरप कोलियरी से केवल 0.36 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ है।

29. एनईसी का कार्य निष्पादन (01.01.2020 से 31.12.2020 तक)

तालिका–II

1	कोयला उत्पादन	यूनिट	मात्रा
	i) भूमिगत	लाख टन0	0
	ii) ओपनकास्ट	लाख टन0	3.42
	योग	लाख टन0	3.42
2	ओएमएस		
	i) भूमिगत	टन0	0
	ii) ओपनकास्ट	टन0	3.15
	समग्र	टन0	1.97
3	कोयला प्रेषण/उठान		
	i) प्रेषण	लाख टन0	3.57
	ii) घरेलू खपत	-	-
	iii) उठान	लाख टन0	3.57
4	30.09.2020 की स्थिति के अनुसार पिट–हेड कोयला भंडार (नामचिक, अरूणाचल प्रदेश के लिए)	लाख टन0	0.17
	31.12.2020 की स्थिति के अनुसार पिट–हेड कोयला भंडार (नामचिक को छोड़कर)	लाख टन0	0.00
5	खानों की संख्या	कार्यरत	0

30. पिछले 5 वर्षों के लिए एनईसी का कार्य निष्पादन

कोलियरी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कोयला उत्पादन आंकड़े टन में					
तिपोंग (यूजी)	3043	3033	3000	0	0
तीरप (ओसी)	178954	197215	468461	529767	450046
तिकाक (ओसी)	212355	330035	286182	252252	66794
(ओसीपी)	92180	70005	23688	1968	0
कुलः–	**486532**	**600288**	**781331**	**783987**	**516840**
पैमाइश के अनुसार ओबी रिमुवल (आंकड़े क्यूबिक मीटर में)					
तीरप (ओसी)	3153076	1867719.90	5126499.90	5723607.64	4146301.09
तिकाक (ओसी)	3253707	3622690.86	2668553.75	2765922.50	584128.00
लिडो (ओसीपी)	897557	185399.69	58092.80	14729.27	0
कुलः–	**7304340.59**	**5675810.45**	**7853146.45**	**8504259.41**	**4730429.09**
कोयला प्रेषण (आंकड़े टन में)					
तिपोंग (यूजी)	-	-	-	-	**0**
तीरप (ओसी)	212158.63	265067.22	538687.91	500489.13	483399.04
तिकाक (ओसी)	111814.57	430592.61	335034.72	252542.20	78559.48
लिडो (ओसीपी)	17896.36	81300.33	20894.74	849.71	0
कुलः–	**341869.56**	**776960.16**	**894617.37**	**753881.04**	**561958.52**
ओएमएस (आंकड़े टन में)					
यूजी	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
ओसी	2.80	3.67	5.21	5.84	4.26
समग्रः–	**1.39**	**1.92**	**2.86**	**3.37**	**2.62**
प्रारंभिक स्टॉक (आंकड़े टन में)					
	01.04.2016 की स्थिति के अनुसार	01.04.2017 की स्थिति के अनुसार	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	01.04.2020 की स्थिति के अनुसार
कुलः–	**359405.45**	**182727.29**	**69434.93**	**99523.33**	**54395.49**

जनशक्ति (आंकड़े संख्या में)					
	01.04.2016 की स्थिति के अनुसार	01.04.2017 की स्थिति के अनुसार	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	01.04.2020 की स्थिति के अनुसार
कार्यपालक	107	96	99	105	96
गैर–कार्यपालक	1770	1610	1436	1290	1117
कुल	1877	1706	1535	1395	1213
लाभ / हानि (आंकड़े करोड़ में)	(-) 59.72	(-) 123.56	(-) 121.06	(-) 84.33	(-) 155.01

*****